सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय [redacted]
"Kendriya Paryavar[redacted]
लिन्क रोड नं0–3,Lin[redacted]
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Sh[redacted]
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-4[redacted]
फोन– 2466525, 246[redacted]
अणुडाक /E-mail: rccfbhopa[redacted]

क्रमांक: 6-MPC043/2010-BHO/ 3443, दि0-22-07-2011,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: सीधी एवं सिंगरौली जिले में 220 के0व्ही0 सीधी से बरगंवा तक विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 18.741 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, (अति0 उच्च दाब निर्माण संभाग) म0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमि0 सतना को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 043/2010–बीएचओ/2221 दिनांक 03/12/2010
2. अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध), म0प्र0 का पत्रांक एफ–4/10/96/2010/10–11/विद्युत/1537 दिनांक 25/05/2011, समसंख्यक पत्रांक 1635 दिनांक 1/6/2011 एवं 2011 दिनांक 5/7/11
3. Officer on Special Duty Adhoc-CAMPA का पत्र क्रमांक 1–20/2010–केम्पा दिनांक 21/07/2011

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–4/10/96/2010/10/विद्युत/3312 दिनांक 24/09/2010 एवं समसंख्यक पत्रांक 3364 दिनांक 26/10/10 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा, केन्द्र सरकार की ओर से 18.741 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, (अति0 उच्च दाब निर्माण संभाग) म0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमि0 सतना को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2.अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 38.00 हे0 अवक्रमित वनभूमि (ग्राम वन समिति–डौआडोल, वन परिक्षेत्र–जियावन, जिला–सिंगरौली) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3 अ) पारेषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो।
ब) वन क्षेत्रों के ऊपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।
स) वनभूमि पर पारेषण लाईन के लिए अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 31.00 मीटर होगी ।
द) प्रत्येक विद्युत चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिंजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/ठूंठ/छटाई की जायेगी, । एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख–रखाव किया जा सके ।

.......2

ई) अधिकृत मार्ग के भीतर शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच 4.6 मीटर की न्यूनतम सफाई रखते हुए संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई अथवा छंटाई की जायेगी । न्यूनतम का हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा ।

उ) पहाड़ी क्षेत्रों में पारेषण लाइन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, वृक्ष नहीं जायेंगे ।

4. अग्निसुरक्षा के बिन्दु से विद्युतीय उपकरण जैसे केपिस्टिर्स (capacitors)/ circuit breakers इत्यादि प्रयोग किया जायेगा ।

5. उपयोगकर्ता द्वारा वन विभाग के परामर्श से ट्रान्समिशन लाईन के मार्गाधिकार पर जहां संभव हो सके बौ प्रजातियां (औषधीय पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाये) के वृक्षारोपण की योजना तैयार की जायेगी जिसका अनुमोदन नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिसका कार्यान्वयन उपयोगकर्ता के व्यय पर कि जायेगा ।

6. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

8. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सीधी, जिला–सीधी, मध्यप्रदेश ।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली, जिला–सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
5. कार्यपालन यंत्री, (अति0 उच्च दाब संभाग, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, सतना, मध्यप्रदेश ।
6. आदेश पत्रावली

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

518
22-7-11

22/7/11